प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

1. जिला – भ्र.नि.ब्यूरो (एस.यू.) जोधपुर थाना – प्र. आ. केन्द्र भ्र. नि. ब्यूरो, जयपुर
   प्र. ई. रि. स. – ......273/22 दिनांक – 7/7/2022
2. (अ) अधिनियम – भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 धाराये – 7
   (ब) अधिनियम – .... धाराये – ....
   (स) अधिनियम – .... धाराये – ....
   (द) अन्य अधिनियम – धाराये – ....
3. अ. रोजनामचा आम रपट संख्या – ....131........ समय – ......6:10 P.M.
   ब. अपराध के घटने का दिन – गुरूवार, दिनांक – 16.06.2022 समय – ....
   स. कार्यालय पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक 16.06.2022 समय – 05.00 पी.एम.
4. सूचना की किस्म – लिखित/मौखिक – लिखित।
5. घटना स्थल –
   (अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी – उत्तर पश्चिम 110 किलोमीटर लगभग
   (ब) पता :– निसार होटल, शेरगढ जिला जोधपुर।
   बीट संख्या जरायमदेही संख्या
   (स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का हैं तो
   पुलिस थाना .... जिला ....
6. परिवादी का नाम
   1. (अ) नाम – श्री अर्जुनराम (ब) पिता/पति का नाम – श्री कुम्भाराम
   (स) जन्म तिथि/वर्ष – 26 वर्ष (द) राष्ट्रीयता – भारतीय
   (य) व्यवसाय –........ (र) पता – उत्तमसिंह नगर खिरजा खास तहसील शेरगढ जिला जोधपुर।
7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तो का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियो सहित–
   1. श्री पन्नाराम पुत्र श्री राणाराम उम्र 51 साल निवासी गांव पोस्ट लूणावास खारा थाना झंवर जिला जोधपुर हाल सहायक उप निरीक्षक पुलिस थाना शेरगढ जिला जोधपुर ग्रामीण।

8- परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण :– कुछ नही

9. चुराई/लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टियां – शून्य

10. चुराई हुई लिप्त सम्पतियां का कुल मुल्य :– ....

11. पंचनामा/यूडी केस संख्या (अगर कोई हो तो)............ कोई नहीं..........

12. विषय वस्तु प्रथम इतला रिपोर्ट..

सेवामें,

श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों
एस.यू. जोधपुर।

विषयः– रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकडवानें हेतु।

मोहदय

निवेदन है कि मैं श्री अर्जुनराम पुत्र श्री कुम्भाराम उम्र 26 वर्ष निवासी मेघवालों की ढाणी उत्तम सिंह नगर खिरजा खास तहसील शेरगढ जिला जोधपुर का रहने वाला हूँ। मै वर्ष 2019 से दिसम्बर 2021 तक पटवारी धन्नाराम बिश्नोई पटवार हल्का केतु कल्ला के साथ प्राईवेट उनकी मदद का कार्य करता था। जिसकी एवज में मुझे पटवारी जी अपनी जेब सें तनका देते थे। दिनांक 12/06/2022 को तहसीलदार सेखाला नें पुलिस थाना शेरगढ में मुकदमा संख्या 140/2022 दर्ज करावाया जिसमें धन्नाराम पटवारी के साथ मुझ पर भी आरोप लगाकर दर्ज कराया गया जिसकी अनुसंधान श्री पन्नाराम स.उ.नि. पुलिस थाना शेरगढ कर रहे है। उक्त सरकारी गबन मेरे रहतें हुए नही हुआ है। फिर भी श्री पन्नाराम अनुसंधान अधिकारी मुझे गिरप्तारी का भय दिखाकर मुझे रिश्वत की मांग कर रहे है। दिनांक 14/06/2022 को मै इनसे जाकर मिला तब श्री पन्नाराम नें मुझे डरा धमका कर मुझसे 20,000 रूपयें ले लिये एवं कहा कि 50,000 रूपयें और ले आना तब मै तेरा नाम निकाल दूंगा। श्रीमान इस प्रकरण में मेरी कोई गलती नही है और ना ही आरोप सत्य है। मै सही अनुसंधान करनें की एवज में श्री पन्नाराम अनुसंधान अधिकारी को रिश्वत नही देना चाहता हूं। रिश्वत देतें हुए रंगे हाथ पकडवाना चाहता हू। मेरी पन्नाराम सें कोई दुश्मनी नही है एवं ना ही कोई लेन देन बकाया है। रिपोर्ट के साथ मुकदमा नम्बर 140/2022 की फोटो प्रति व मेरे आधार कार्ड की फोटो प्रति पेश कर रहा हूं। कानूनी कार्यवाही करावे। ''

दिनांक 16.06.2022

भवदीय
एसडी
अर्जुनराम पुत्र श्री कुम्भाराम
ग्राम उत्तमसिंह नगर खिरजा खास
तहसील शेरगढ जिला जोधपुर
7300162410
9462742410

कार्यवाही पुलिस, दिनांक 16.06.2022 समय 05.00 पी.एम.

इस समय परिवादी श्री अर्जुनराम पुत्र श्री कुम्भाराम उपरोक्त लिखित रिपोर्ट के साथ उपस्थित आया। परिवादी की रिपोर्ट सें मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (संशोधन) 2018 का पाया जानें से अग्रिम कार्यवाही अमल में जायेगी।

एसडी 17/6/22	एसडी 17/6/22	एसडी	एसडी16/6/22
(श्री सन्तोष कुमार व्यास)	(श्री बाबुसिंह)	मनीष वैष्णव	(दुर्गसिंह राजपुरोहित)
स.प्र.अ.	स.प्र.अ.		अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों

कार्यवाही पुलिस

दिनांक 16.06.2022 समय 05.00 पी.एम.

परिवादी श्री अर्जुनराम पुत्र श्री कुम्भाराम जाति मेघवाल उम्र 26 साल निवासी मेघवालों की ढाणी उत्तम सिंह नगर खिरजा खास तहसील शेरगढ जिला जोधपुर ने कार्यालय में उपस्थित होकर एक हस्तलिखित रिपोर्ट मन् डॉ. दुर्गसिंह राजपुरोहित, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, स्पेशल युनिट, जोधपुर के समक्ष इस आशय की पेश की कि "निवेदन है कि मैं श्री अर्जुनराम पुत्र श्री कुम्भाराम उम्र 26 वर्ष निवासी मेघवालों की ढाणी उत्तम सिंह नगर खिरजा खास तहसील शेरगढ जिला जोधपुर का रहने वाला हूँ। मै वर्ष 2019 से दिसम्बर 2021 तक पटवारी धन्नाराम बिश्नोई पटवार हल्का केतू कल्ला के साथ प्राईवेट उनकी मदद का कार्य करता था। जिसकी एवज में मुझे पटवारी जी अपनी जेब सें तनख्वाह देते थे। दिनांक 12.06.2022 को तहसीलदार सेखाला नें पुलिस थाना शेरगढ में मुकदमा संख्या 140/2022 दर्ज करावाया जिसमें धन्नाराम पटवारी के साथ मुझ पर भी आरोप लगाकर दर्ज कराया गया जिसकी अनुसंधान श्री पन्नाराम स.उ.नि. पुलिस थाना शेरगढ कर रहे है। उक्त सरकारी गबन मेरे रहतें हुए नही हुआ है। फिर भी श्री पन्नाराम अनुसंधान अधिकारी मुझे गिरफ्तारी का भय दिखाकर मुझे रिश्वत की मांग कर रहे है। दिनांक 14.06.2022 को मै इनसे जाकर मिला तब श्री पन्नाराम नें मुझे डरा धमका कर मुझसे 20,000 रूपयें ले लियें एवं कहा कि 50,000 रूपयें और ले आना तब मै तेरा नाम निकाल दूंगा। श्रीमान इस प्रकरण में मेरी कोई गलती नही है और ना ही आरोप सत्य है। मै सही अनुसंधान करनें की एवज में श्री पन्नाराम अनुसंधान अधिकारी को रिश्वत नही देना चाहता हूं। रिश्वत देतें हुए रंगे हाथ पकडवाना चाहता हू। मेरी पन्नाराम सें कोई दुश्मनी नही है एवं ना ही कोई लेन देन बकाया है। रिपोर्ट के साथ मुकदमा नम्बर 140/2022 की फोटो प्रति व मेरे आधार कार्ड की फोटो प्रति पेश कर रहा हूं। कानूनी कार्यवाही करावे। " परिवादी की हस्तलिखित रिपोर्ट से मामला भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 का पाया जाने पर नियमानुसार गोपनीय सत्यापन करवाया जाना आवश्यक होने से मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने कार्यालय के श्री भंवरलाल कानि. नम्बर 501 से कार्यालय का डिजिटल वाईस रिकार्डर मालखाने से निकलवाकर मंगवाया गया तथा परिवादी श्री अर्जुनराम को कार्यालय के डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर के संचालन की विधि से समझाईश की गई तथा श्री भंवरलाल कानि. नम्बर 501. का परिवादी श्री अर्जुनराम से आपसी में परिचय करवाया गया।

वक्त 05.45 पी.एम. पर कार्यालय का डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर श्री भंवरलाल कानि. नम्बर 501. को सुपर्द कर परिवादी श्री अर्जुनराम व आरोपी श्री पन्नाराम सहायक उप निरीक्षक के मध्य रिश्वति राशि मांग सत्यापन करवाकर लानें हेतु परिवादी श्री अर्जुनराम एवं श्री भंवरलाल कानि. नम्बर 501 को आवश्यक हिदायत देकर कार्यालय से पुलिस थाना शेगरढ के लिए रवाना किया गया।

वक्त 11.30 पी.एम. पर श्री भंवरलाल कानि. नम्बर 501 कार्यालय अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, स्पेशल युनिट, जोधपुर उपस्थित आया और श्री भंवरलाल कानि. नम्बर 501 ने मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को डिजीटल वॉयस टेप रिकॉर्डर सुपर्द कर बताया कि "मैं व परिवादी श्री अर्जुनराम आज दिनांक 16.06.2022 को कार्यालय से प्राईवेट वाहन से रवाना होकर शेरगढ पहुंचे। शेरगढ पहुंचकर परिवादी द्वारा अपनें वाटसअप सें आरोपी श्री पन्नाराम सहायक उप निरीक्षक के मोबाईल पर वाटसअप से कॉल किया गया। जिसकों मैनें कार्यालय के डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर को ऑन कर रिकॉर्ड किया। जिसमें आरोपी श्री पन्नाराम नें बताया कि मै अभी थानें पर ही हूं और निसार होटल पर आ रहा हूं आप वहीं पर मिलों। जिस पर मन् कानि. ने डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर ऑन कर परिवादी श्री अर्जुनराम को सुपुर्द कर मांग सत्यापन वार्ता रिकॉर्ड कर लाने हेतु निसार होटल शेरगढ के लिए रवाना किया गया और मै स्वयं आस पास गोपनीय रूप से मुकिम रहा। कुछ समय बाद परिवादी पुनः मेरे पास आया तथा रिकॉर्डर सुपर्द किया जिसे मैंने ऑफ कर अपने

दिनांक 17.06.2022 वक्त 11.25 ए.एम. पर ब्यूरो की गोपनीय कार्यवाही हेतु दो स्वतंत्र गवाह की आवश्यक होने पर श्रीमान खनि अभियन्ता खान एवं भू विज्ञान विभाग जोधपुर को जरिए पत्रांक 1171 दिनांक 17.06.22 के द्वारा दो स्वतंत्र गवाह लानें हेतु कार्यालय के कानि. श्री गणेश कुमार बेल्ट नम्बर 219 को रवाना किया गया। उच्चाधिकारियो को सम्पूर्ण हालात निवेदन किए गए एवं कार्यवाही में ट्रेप टीम को लीड करने हेतु ब्यूरो की शहर चौकी का अतिरिक्त चार्ज होने से श्री मनीष वैष्णव पुलिस निरीक्षक को मय श्री भूरसिंह कानि. नम्बर 23, श्रीमति सीता महिला कानि. नम्बर 172 के अविलम्ब इस कार्यालय में उपस्थित होने की हिदायत दी गई। वक्त 12.10 पी.एम. पर श्री मनीष वैष्णव निरीक्षक पुलिस मय श्रीमति सीता महिला कानि. व श्री भूरसिंह कानि. के एसीबी चौकी जोधपुर से मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशनुसार गोपनीय कार्यवाही हेतु इस कार्यालय में उपस्थित आये।

वक्त 12.15 पी.एम. पर कार्यालय के कानि. श्री गणेश कुमार नम्बर 219 मय दो स्वतन्त्र गवाह के कार्यालय उपस्थित आया। गवाहान सें मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिचय पुछने पर बारी बारी से अपना परिचय श्री सन्तोष कुमार व्यास पुत्र स्वर्गीय श्री बद्रीनारायण व्यास जाति ब्राहमण उम्र 56 साल निवासी 17 ई चौपासनी हाउसिंग बोर्ड पुलिस थाना चौपासनी हाउसिंग बोर्ड जिला जोधपुर हाल सहायक प्रशासनिक अधिकारी कार्यालय खनि अभियन्ता खान एवं भू विज्ञान विभाग जोधपुर, मोबाईल नम्बर 9929061504 एवं श्री बाबूसिंह पुत्र स्वर्गीय श्री हुकम सिंह जाति कोली उम्र 42 साल निवासी महात्मा गांधी स्कूल के पीछे, गुलाब बाग जोधपुर हाल सहायक प्रशासनिक अधिकारी कार्यालय खनि अभियन्ता खान एवं भू विज्ञान विभाग जोधपुर, मोबाईल नम्बर 9799682469 होना बताया।

वक्त 12.20 पी.एम. पर परिवादी श्री अर्जूनराम मय रिश्वत राशि 10,000 के कार्यालय में उपस्थित आया। परिवादी नें बताया कि आरोपी का मेरे पास वाटसअप कॉल आया कि मै जोधपुर जैल पर मुल्जिम को लेने के आया हुआ हूँ तुम 1 बजे वहॉ रिश्वत राशि लेकर आ जाना। परिवादी नें मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि मै 50000 रूपये की व्यवस्था नही कर पाया। साथ ही परिवादी नें बताया कि आरोपी श्री पन्नाराम सहायक उप निरीक्षक मेरे से 10000 रूपयें अभी ले लेगा। मै उसकों 40,000 रूपयें आईन्दा देनें का निवेदन कर दूंगा। जिस पर श्री पन्नाराम सहायक उप निरीक्षक के विरूद्व ट्रेप कार्यवाही 10,000 रूपयें की ही करनें का निर्णय लिया गया। सम्पूर्ण हालात उच्चाधिकारियों को निवेदन किए गए।

वक्त 12.25 पी.एम. पर कार्यालय मे परिवादी श्री अर्जुनराम, गवाह श्री सन्तोष कुमार व्यास व श्री बाबूसिंह उपस्थित है। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक किसी अन्य गोपनीय कार्यवाही में पूर्व से व्यस्त हूं। जिस पर उक्त ट्रेप कार्यवाही में अग्रिम कार्यवाही हेतु श्री मनीष वैष्णव निरीक्षक पुलिस को निर्देशित किया गया। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नें पुलिस निरीक्षक मनीष वैष्णव एवं स्वतंत्र गवाहान, परिवादी का आपसी परिचय करवाया एवं परिवादी अर्जुनराम द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र से सम्बन्धित पत्रावली एवं कार्यालय का डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर जिसमें परिवादी एवं आरोपी के मध्य रिश्वति राशि मांग सत्यापन की वार्ता रिकार्ड है को सुपुर्द कर पुलिस निरीक्षक मनीष वैष्णव अग्रिम ट्रेप कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया।

वक्त 12.30 पी.एम. पर मनीष वैष्णव पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी श्री अर्जुनराम द्वारा प्रस्तुत हस्तलिखित रिपोर्ट को पढ़कर दोनों गवाहान को सुनाई गई और दोनों स्वतंत्र गवाहान को पढवायी गई। परिवादी की हस्तलिखित रिपोर्ट को पढ–सुन दोनों गवाहान द्वारा ट्रेप कार्यवाही में गवाह रहने की सहमति प्रदान की गई एवं परिवादी की हस्तलिखित रिपोर्ट पर एवं संलग्न दस्तावेजात की फोटो प्रतिया पर दोनों स्वतन्त्र गवाहान एवं निरीक्षक पुलिस नें अपने अपने हस्ताक्षर किये। दिनांक 16.06.2022 को परिवादी श्री अर्जुनराम एवं आरोपी श्री पन्नाराम एएसआई के मध्य रूबरू हुई रिश्वति राशि मांग सत्यापन वार्ताओं की रिकॉर्डिंग के मुख्य –मुख्य मांग अंश को सुनाया गया। कार्यालय का डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर को पुलिस निरीक्षक द्वारा सुरक्षा की दृष्टि से अपने पास मे रखा। उक्त वार्ता की आईन्दा फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार की जावेगी।

कोई आपतिजनक दस्तावेजात व अन्य राशि नहीं रहने दी गई। उक्त फिनोफथलीन पाउडर युक्त 10000 रूपये जो श्री पन्नाराम को दी जानी है, की राशि के नोटों को परिवादी अर्जुनराम के पहने हुए कमीज के सामनें की बांयी जेब में श्रीमति सीता महिला कानि. नम्बर 172 से रखवाये जाकर गवाहान के समक्ष परिवादी श्री अर्जुनराम को हिदायत दी गई कि इस रिश्वती राशि को रास्ते में नहीं छुऐ एवं आरोपी द्वारा मांगने पर ही उक्त रिश्वती राशि निकाल कर देवे तथा आरोपी से हाथ नहीं मिलावे। ट्रेप पार्टी को देखकर अपने सिर पर आगे से पीछे अपना हाथ दो बार फेर या मन् मनीष वैष्णव निरीक्षक पुलिस भ्र.नि.ब्यूरो जोधपुर के मोबाईल नं. 8955510978 पर रिश्वती राशि आदान–प्रदान होने की सूचना करें। तत्पश्चात् एक साफ कांच के गिलास में साफ पानी भरकर मंगवाया गया। जिसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार कर गवाहान तथा परिवादी को दिखाया गया तो सभी हाजरीन ने रंगहीन घोल होना स्वीकार किया। इस रंगहीन घोल में श्रीमति सीता महिला कानि. के हाथों की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाई गई तो घोल का रंग गहरा गुलाबी हो गया जिसे सभी हाजरीन ने घोल का रंग गुलाबी होना स्वीकार किया। सभी हाजरीन को समझाईश की गई कि आरोपी द्वारा रिश्वती राशि के नोटों को हाथ लगाने और सोडियम कार्बोनेट के घोल में हाथ धुलाने पर घोल का रंग गुलाबी हो जायेगा। फिनोफथलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट के मिश्रण की क्रिया–प्रतिक्रिया व उपयोगिता के बारे में भली भांति समझाया गया। फिर पाउडर लगाने वाली श्रीमति सीता महिला कानि. से गिलास के गुलाबी घोल को बाहर फिकवाया जाकर गिलास को साफ पानी व साबुन से धुलवाया जाकर जिस अखबार पर रख कर नोटों पर फिनोफथलीन पाउडर लगाया गया था, उस अखबार को भी जलाकर नष्ट करवाया गया। फिनोफथलीन पाउडर की शीशी को पाउडर लगाने वाली श्रीमति सीता महिला कानि. से कार्यालय हाजा के मालखाना में रखवायी गई। गवाहान को हिदायत दी गई कि जहां तक संभव हो परिवादी व आरोपी के बीच में होने वाली रिश्वती राशि लेन देन व वार्तालाप को देखने व सुनने का प्रयास करे। उक्त फर्द पर सम्बन्धित गण के हस्ताक्षर करवाकर फर्द शामिल रंनिग नोट की गई।

वक्त 01.20 पी.एम. पर परिवादी श्री अर्जुनराम को छोड़कर समस्त ब्यूरो टीम व दोनों स्वतन्त्र गवाहान के साबुन से साफ हाथ धुलवाये गये व ब्यूरो स्टाफ की आपसी जामा तलाशी लिरवाई जाकर अपने–अपने विभागीय परिचय–पत्र एवं अपने–अपने मोबाईल फोन पास में रहने दिये गये। कोई भी आपत्तिजनक वस्तु, राशि एवं दस्तावेजात किसी के पास नहीं रहने दिये गये मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा खर्चे के 1,000 रूपये अपने पास रखे।

वक्त 01.25 पी.एम. पर परिवादी श्री अर्जुनराम के मोबाईल पर आरोपी श्री पन्नाराम सहायक उप निरीक्षक का वाटसअप कॉल आया। जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा कार्यालय के डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में परिवादी श्री अर्जुनराम के मोबाईल का स्पीकर ऑन करवाकर उक्त वार्ता को रिकॉर्ड करवाया गया। जिसमे श्री पन्नाराम सहायक उप निरीक्षक नें बताया कि तुम आये नहीं, मै कायलाना चौराहें से होकर बडली चौराहे की तरफ जा रहा हू। अब आप मोटर साईकिल लेकर वहीं आ जाओं। जिस पर कार्यालय सें बडली चौराहें की तरफ रवाना होनें का निर्णय लिया गया।

वक्त 01.30 पी.एम. पर मनीष वैष्णव निरीक्षक पुलिस मय स्वतंत्र गवाह श्री सन्तोष कुमार व्यास व श्री बाबूसिंह मय ब्यूरो जाब्ता श्री मेघराज हैड कानि. 63, श्री अर्जुनसिह कानि. 319, श्री रामचन्द्रसिह कानि. 432, श्री गणेश कुमार कानि0 219 मय कार्यालय का डिजीटल वॉयस टेप रिकॉर्डर एवं परिवादी के कार्य से सम्बन्धित दस्तावेज पत्रावली, ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप–प्रिन्टर एवं आवश्यक सामग्री के मय दोनों सरकारी वाहन टवेरा मय श्री खम्माराम कानि. चालक एवं श्री प्रकाश कानि. 265 एवं श्री भंवरलाल कानि. नम्बर 501 एवं परिवादी श्री अर्जुनराम को निजी मोटर साईकिल के कार्यालय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो स्पेशल यूनिट, जोधपुर से बडली चौराहा के लिए रवाना हुए।

वक्त 03.00 पी.एम. पर मनीष वैष्णव निरीक्षक पुलिस मय हमरायान के कार्यालय का डिजीटल वॉयस टेप रिकॉर्डर, एवं परिवादी के कार्य से सम्बन्धित दस्तावेज पत्रावली, ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप–प्रिन्टर एवं आवश्यक सामग्री के दोनों सरकारी वाहन टवेरा मय चालक एव निजी मोटर साईकिल के उपस्थित आये। हालात इस

परिवादी की कमीज की जेब से निकलवाकर रिश्वत राशि को एक सफेद लिफाफे में डाल कर कार्यालय की अलमारी मे सुरक्षित रखवाकर अलमारी की चाबी अपने पास रखी।

वक्त 05.00 पी.एम. पर परिवादी श्री अर्जुनराम व दोनों स्वतन्त्र गवाहान श्री सन्तोष कुमार व्यास व श्री बाबूसिंह को कार्यवाही की गोपनीयत बरतने की मुनासिब हिदायत देकर कार्यालय से रूख्सत किया गया।

दिनांक 18.06.2022 वक्त 03:00 पी.एम. पर पूर्व से पाबन्द शुदा परिवादी श्री अर्जुनराम व दोनों स्वतन्त्र गवाहान कार्यालय उपस्थित आयें है। परिवादी व गवाहान के सामनें दिनांक 16.06.2022 व दिनांक 17.06.2022 को परिवादी व आरोपी के बीच हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता की ट्रासंक्रिप्ट तैयार की जावेंगी।

वक्त 03:05 पी.एम. पर परिवादी श्री अर्जुनराम एवं दोनो स्वतंत्र गवाहान श्री सन्तोष कुमार व्यास व श्री बाबूसिंह के समक्ष मन् निरीक्षक पुलिस ने अपने पास सुरक्षित रखा हुआ कार्यालय का डिजिटल वाईस टेप रिकार्डर जिसमें परिवादी श्री अर्जुनराम एवं आरोपी पन्नाराम स.उ.नि पुलिस थाना शेरगढ के मध्य दिनांक 16.06.2022 को वाटसअप कॉल रिश्वति राशि मांग सत्यापन वार्ता से पूर्व एवं दिनांक 16.06.2022 को परिवादी श्री अर्जुनराम व आरोपी श्री पन्नाराम सहायक उप निरीक्षक के मध्य रिश्वती राशि मांग सत्यापन रूबरू वार्तालाप रिकॉर्ड है। उक्त वार्तालापो की दोनों गवाहान व परिवादी के समक्ष कार्यालय के कम्प्यूटर में श्री रामचन्द्रसिंह कानि. नम्बर 432 से कॉपी करवाकर दोनों गवाहान व परिवादी के समक्ष सुन व समझकर शब्द ब शब्द फर्द ट्रान्सक्रिप्ट रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्तालाप श्री रामचन्द्रसिंह कानि. 432 की सहायता से फर्द मुर्तिब करवाई गई। रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्तालाप में परिवादी श्री अर्जुनराम ने एक आवाज स्वयं की तथा दूसरी आवाज आरोपी पन्नाराम स.उ.नि पुलिस थाना शेरगढ की होना बताया। उक्त फर्द पर संबंधितगण के हस्ताक्षर करवाकर शामिल रनिंग नोट की गई। उक्त वार्ता की तीन सीडीयां तैयार की गई। जिसमें से एक सीडी को मूल मानते हुए कपड़े की थैली में सिलाई कर सील मोहर कर प्रकरण का विवरण अंकित कर सम्बन्धितगण के हस्ताक्षर करवाये गये व वार्ता की दो सीडीयों को डब सीडीयां मानते हुए खुली हालात में रखी गई। जिसमें से एक डब सीडी अनुसंधान अधिकारी हेतु व दूसरी डब सीडी आरोपी की मानकर तैयार की गई है। कार्यवाही के दौरान तैयार की गई तीनों सीडीयां मालखाना प्रभारी श्री मेघराज हैड कानि. नम्बर 63 को सुपुर्द कर मालखाना रजिस्टर में इन्द्राज करवाकर जमा मालखाना करवाई गई।

वक्त 05:20 पी.एम. पर परिवादी श्री अर्जुनराम एवं दोनो स्वतंत्र गवाहान श्री सन्तोष कुमार व्यास व श्री बाबूसिंह के समक्ष मन् निरीक्षक पुलिस ने अपने पास सुरक्षित रखा हुआ कार्यालय का वाईस टेप रिकार्डर जिसमें परिवादी श्री अर्जुनराम एवं आरोपी पन्नाराम स.उ.नि पुलिस थाना शेरगढ के मध्य दिनांक 17.06.2022 को रिश्वति राशि लेन देन से पूर्व वाटसटप कॉल रिकॉर्डिग वार्ता रिकॉर्ड है। उक्त वार्तालाप की दोनों गवाहान व परिवादी के समक्ष कार्यालय के कम्प्यूटर में श्री रामचन्द्रसिंह कानि. नम्बर 432 से कॉपी करवाकर दोनों गवाहान व परिवादी के समक्ष सुन व समझकर शब्द ब शब्द फर्द ट्रान्सक्रिप्ट रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्तालाप श्री रामचन्द्रसिंह कानि. 432 से फर्द मुर्तिब करवाई गई। रिश्वती राशि लेन देन से पूर्व वाटसअप कॉल रिकॉर्डिग वार्तालाप में परिवादी श्री अर्जुनराम ने एक आवाज स्वयं की तथा दूसरी आवाज आरोपी पन्नाराम स.उ.नि पुलिस थाना शेरगढ की होना बताया। उक्त फर्द पर संबंधितगण के हस्ताक्षर करवाकर शामिल रनिंग नोट की गई। उक्त वार्ता की तीन सीडीयां तैयार की गई। जिसमें से एक सीडी को मूल मानते हुए कपड़े की थैली में सिलाई कर सील मोहर कर प्रकरण का विवरण अंकित कर सम्बन्धितगण के हस्ताक्षर करवाये गये व वार्ता की दो सीडीयों को डब सीडीयां मानते हुए खुली हालात में रखी गई। जिसमें से एक डब सीडी अनुसंधान अधिकारी हेतु व दूसरी डब सीडी आरोपी की मानकर तैयार की गई है। कार्यवाही के दौरान तैयार की गई तीनों सीडीयां मालखाना प्रभारी श्री मेघराज हैड कानि. नम्बर 63 को सुपुर्द कर मालखाना रजिस्टर में इन्द्राज करवाकर जमा मालखाना करवाई गई।

वक्त 06:00 पी.एम. पर परिवादी को हिदायत दी गई कि आरोपी श्री पन्नाराम सहायक उप निरीक्षक का जब भी रिश्वति राशि लेन देन हेतु फोन आयें तो तुरन्त मन निरीक्षक पुलिस को अवगत करावें। गवाहान को हिदायत दी गई कि जब भी कार्यवाही में आवश्यकता होगी तुरन्त कार्यालय में तलब करनें पर कार्यालय में

अतः आरोपी श्री श्री पन्नाराम पुत्र श्री राणाराम उम्र 51 साल निवासी गांव पोस्ट लूणावास खारा थाना झंवर जिला जोधपुर हाल सहायक उप निरीक्षक पुलिस थाना शेरगढ जिला जोधपुर ग्रामीण के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 का प्रथम दृष्टया कारित करना पाया गया।

अतः श्री पन्नाराम पुत्र श्री राणाराम उम्र 51 साल निवासी गांव पोस्ट लूणावास खारा थाना झंवर जिला जोधपुर हाल सहायक उप निरीक्षक पुलिस थाना शेरगढ जिला जोधपुर ग्रामीण के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट कता की जाकर वास्ते कमांकन हेतु प्रेषित है।

भवदीय

(डा0 दुर्गसिंह राजपुरोहित)

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
स्पेशल यूनिट, जोधपुर

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट डॉ. दुर्गसिंह राजपुरोहित, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, स्पेशल यूनिट जोधपुर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 में अभियुक्त श्री पन्नाराम, सहायक उप निरीक्षक पुलिस, पुलिस थाना शेरगढ, जिला जोधपुर ग्रामीण, जोधपुर के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 273/2022 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

7.7.22
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर

क्रमांक 2396-2400 दिनांक 07.07.2022

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जोधपुर।
2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. पुलिस अधीक्षक, जोधपुर ग्रामीण, जोधपुर।
4. उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, स्पेशल यूनिट जोधपुर ।

7.7.22
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट डॉ. दुर्गसिंह राज़पुरोहित, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, स्पेशल यूनिट जोधपुर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 में अभियुक्त श्री पन्नाराम, सहायक उप निरीक्षक पुलिस, पुलिस थाना शेरगढ, जिला जोधपुर ग्रामीण, जोधपुर के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 273/2022 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर

कमांक 2396-2400 दिनांक 07.07.2022

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जोधपुर।
2. अतिरिक्त महानिदेशाक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. पुलिस अधीक्षक, जोधपुर ग्रामीण, जोधपुर।
4. उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, स्पेशल यूनिट जोधपुर ।

7.7.22
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।